भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2429

17 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

देशभर में फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया जाना

2429. श्री नीरज डांगी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देशभर में सरकार द्वारा कितने लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध किया जा रहा है;

(ख) राशन कार्ड के डिजीटलीकरण के चलते कितने प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया है;

(ग) डिजीटलीकरण के चलते रद्द किए गए राशन कार्डों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कितने प्रतिशत लाभार्थियों का ईकेवाईसी किया गया है, और कितने लाभार्थियों का शेष है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार की इस प्रकार की प्रक्रिया से वंचित निम्न वर्गों के लोगों के लिए खाद्य वितरण के संबंध में अन्य क्या योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) : वर्तमान में,प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80.67 करोड़ व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ख) : वर्तमान में, पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत 99.8% राशन कार्डों को लाभार्थी परिवार के कम से कम एक सदस्य के आधार नंबर से जोड़ा गया है।

(ग) : वर्ष 2013 से टीपीडीएस प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के उपयोग अर्थात राशन कार्डों/लाभार्थी डाटाबेस का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया, डुप्लीकेट की

...2/-

पहचान, अपात्र रिकॉर्ड, मृत्यु, लाभार्थियों का स्थायी प्रवास आदि, के परिणामस्वरूप, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2013 से वर्ष 2024 (अब तक) के बीच लगभग 5.87 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए हैं, ताकि सही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। रद्द किए गए राशन कार्डों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : वर्तमान में, देशभर में कुल 80.67 करोड़ पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों में से लगभग 65% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इस विभाग ने सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से ई-केवाईसी प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया है।

(ङ) : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में प्रावधान है कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से 14 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) और पीएम-पोषण स्कीमों के तहत निर्धारित पौषणिक मानदंडों के अनुसार भोजन के लिए पात्र हैं। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। लक्षित लाभार्थियों में पौषणिक मानदंडों में सुधार लाने के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पोषण मानदंडों को संशोधित किया है।

लक्षित आबादी के बीच फोर्टिफाइड चावल के समान पोषण प्रभाव को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति कर रही है। इस पहल को तीन चरणों में बढ़ाया गया था - चरण-I (2021-22) में आईसीडीएस और पीएम-पोषण को कवर किया गया, चरण-II (2022-23) में आईसीडीएस, पीएम-पोषण और टीपीडीएस के तहत 291 आकांक्षी और उच्च बोझ वाले जिलों को कवर किया गया तथा चरण-III (2023-24) में आईसीडीएस, पीएम-पोषण और टीपीडीएस के तहत सभी जिलों को कवर किया गया। सरकार की प्रत्येक योजना में कस्टम-मिल्ड चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है और मार्च, 2024 तक फोर्टिफाइड चावल के वितरण का 100% कवरेज प्राप्त कर लिया गया है। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की इस पहल (सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित) को दिसंबर 2028 तक जारी रखने के लिए अनुमति दे दी है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2429 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2013 से 2024 (अभी तक) रद्द किए गए राशन कार्डों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1	आंध्र प्रदेश	43,68,125
2	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,142
3	अरुणाचल प्रदेश	21,040
4	असम	4,08,011
5	बिहार	13,81,584
6	चंडीगढ़	3,063
7	छत्तीसगढ	15,16,532
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव	15,027
9	दिल्ली	3,27,297
10	गोवा	1,74,496
11	गुजरात	8,15,734
12	हरियाणा	15,21,067
13	हिमाचल प्रदेश	79,569
14	जम्मू और कश्मीर	1,27,872
15	झारखंड	11,26,620
16	कर्नाटक	31,32,421
17	केरल	2,46,791
18	लद्दाख	702
19	लक्षद्वीप	1,568
20	मध्य प्रदेश	25,17,627
21	महाराष्ट्र	46,12,756
22	मणिपुर	95,245
23	मेघालय	15,123
24	मिजोरम	12,578
25	नागालैंड	51,952
26	ओडिशा	7,81,573
27	पुडुचेरी	1,09,306
28	पंजाब	7,59,558
29	राजस्थान	25,58,261
30	सिक्किम	29,278
31	तमिलनाडु	7,89,063
32	तेलंगाना	22,33,749
33	त्रिपुरा	2,00,665
34	उत्तर प्रदेश	1,93,54,572
35	उत्तराखंड	7,72,367
36	पश्चिम बंगाल	85,59,560
	सकल योग	**5,87,22,894**

****